संख्या-10/2023/I/290051/2023/001-71-4099-856-2019

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2023**

विषय:-उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्याल, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के अनावासीय/आवासयी एवं सम्बद्ध भवनों के निर्माण तथा वाहय स्थल विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-083 में प्राविधानित धनराशि रु० 100.00 लाख के सापेक्ष रु० 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3863/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु(25)14-15/2022-23, दिनांक 13-03-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्याल, सैफई, इटावा के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के अनावासीय/आवासयी एवं सम्बद्ध भवनों के निर्माण तथा वाहय स्थल विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-083 में प्राविधानित धनराशि रु० 100.00 लाख के सापेक्ष रु० 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवम् पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-30-पैरामेडिकल इंस्टीटयूट, सैफई, इटावा-24-वृहत् निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 100.00 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना की लागत धनराशि रू० 17207.88 लाख की 05 प्रतिशत रोकी गयी धनराशि अर्थात रू० 860.4 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 135.40 लाख में से **रू0 100.00 लाख (रूपए एक करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक-07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. शासनादेश संख्या-01/2016/5358(I)/71-2-2017/2018 दिनांक-02.01.2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893000 पेरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-10/2023/I/290051/2023/001-71-4099-856-2019, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ।
7. ईकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, सैफई,इटावा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,वित्त (व्यखय नियंत्रण) अनुभाग-3 एवं समाज कल्या0ण विभाग(बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
9. नोडल अधिकारी/ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।